प्रकरण संख्या 04/2022 जीवा बनाम रूपा व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.12.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2/1 ने एक वाद विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 90, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया नर्वदा प्रतिवादी संख्या 2 की पुत्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 5 उसकी सगी बहनें हैं एवं प्रतिवादी संख्या उसका चाचा है। मूल पुरूष वालजी होकर उनके पॉच पुत्र धुला, पूजा, कलजी उर्फ कमजी, रूपा व नाना उर्फ खातरा हुए। वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 पूजा के वारिस है, पूजा, कलजी उर्फ कमजी व नाना उर्फ खातरा लाऔलाद फोत हुए, जबबि पूजा प्रतिवादी संख्या 1 है। वादिया के दादा जी की सम्पत्ति मौजा भिमदडी, तहसील सागवाड़ा में स्थित है, जिसका वर्णन वाद पत्र की कलम संख्या 4 ''अ'', ''ब'', ''स'', ''द'', ''य'' में किया गया है। वालजी ने अपने पॉचों पुत्रों को भूमि का बंटवारा कर दिया, उसी अनुसार पक्षकारान काबिज चले आ रहे हैं। वादिया के पिता की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 2 ने कलम संख्या 4 ''ब'' में वर्णित आराजियात वादिया व प्रतिवादी संख्या 4 मंजू के पक्ष में बक्षीस कर दी, जो दिनांक 31.08.1988 को पंजीबद्ध हुआ। वादिया का चाचा कमजी लाऔलाद फोत हुआ, जो कुंवारा होने से वादिया व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के साथ रहता था तथा चाचा द्वारा ही उसकी परिवरिश की गयी। वादिया अपने पति को छोडकर 20 वर्षो से गांव भीमदडी में अपनी मां के साथ रहती है तथा कलम संख्या 4 ''स'' में दर्ज भूमि पर काबिज होकर काश्त करती है। बक्षीस वाली भूमि पर मंजू का कब्जा नहीं है। इस प्रकार वाद पत्र की कलम संख्या 4 वर्णित ''ब'' व ''स'' की भूमि पर वादिया चिरकाल से काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है, जिससे उसका कब्जा परिपक्व हो चुका है। इसलिए वादिया उक्त भूमि की घोषणा कराने की अधिकारी है। धूला, कमजी व नाना के लाऔलाद फोत हो जाने से वाद पत्र की कलम संख्या ''अ'', ''स'', ''य'' में वर्णित भूमि विरासती रूप से वादिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की 1/2 हिस्सा किन्तु राजस्व रेकार्ड में	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:56:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है, जबकि वादिया व प्रतिवादी संख्या 3 से 4 का नाम भी दर्ज होना चाहिए था। प्रतिवादी संख्या 1 ने जानबूझकर तथ्यों को गुमराह कर नामान्तरकरण में अन्य पक्षकार का नाम दर्ज नहीं करवाया है। अतः वादिया को वाद पत्र की कलम संख्या 4 ''ब'' वर्णित आराजियात जो वादिया व प्रतिवादी संख्या 4 को बक्षीस की गयी उस पर चिरकाल से कब्जा वादिया का होने से खातेदार घोषित किया जावे। इसी प्रकार कलम संख्या 10 में खाता संख्या 42/43 में वर्णित आराजी नंबर 114, 287, 288, 293 से 297, 444 की भूमि जो धूला के खाते से आयी होने से मृतक पूजा के वारिसान वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का आधा हिस्सा दर्ज किया जावे तथा कलम संख्या 11 में वर्णित खाता संख्या 27/26 के खसरा नंबर 226, 227, 229, 443, 261, 272 कुल खेत 6 रकबा 2 बीघा में नाना के हिस्से में वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

उक्त वाद दर्ज रजिस्टर होने पर प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर प्रतिवाद पेश किया गया, जिसका जवाबुल जवाब वादिया द्वारा प्रस्तुत किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय ने वादिया के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 13.11.2017 को वादिया का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की तत्पश्चात् दिनांक 07.04.2021 को संशोधित डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 29.04.2022 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.11.2017 एवं संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.04.2021 की उन्हें

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:56:12 IST
Reason: SelfAttested

कोई जानकारी नहीं था, क्योंकि दोनों डिक्री अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उन्हें बिना सूचना दिये जारी की गयी हैं। दिनांक 11.01.2022 को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई, जिसकी नकल का प्रार्थना पत्र अपीलान्ट द्वारा दिनांक 11.01.2022 को पेश किया गया एवं प्रतिलिपि दिनांक 31.03.2022 को प्राप्त होने पर अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर पत्रावली का अध्ययन किया। चूंकि दोनों ही निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किये गये हैं ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण दृष्टिगण न्यायहित में देरी को क्षमा किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी द्वारा खण्डन का जवाबदावा एवं प्रतिवाद प्रस्तुत करने के कारण प्रकरण दिनांक 14.10.2014 को तनकियां कायम करने हेतु नियत था, किन्तु दिनांक 27.01.2015 तक तनकियां नहीं बनायी गयी एवं दिनांक 27.01.2015 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित करने के बाद दिनांक 13.11.2017 को निर्णय पारित कर दिया, जिसमें संशोधन हेतु वर्ष 2020 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 07.04.2021 को संशोधित निर्णय व डिक्री पारित कर दी, जो अपीलान्ट के पीठ पीछे उनको बिना सूचना दिये पारित की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की गयी है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा प्रकरण विधिवत सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:56:12 IST
Reason: SelfAttested

आदेशिका दिनांक 14.10.2014 अनुसार प्रकरण तनकियां कायमी हेतु नियत था, किन्तु बिना तनकियात कायम किये दिनांक 27.01.2015 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित करते हुए पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत कर दी तथा दिनांक 13.11.2017 को प्रकरण में एकपक्षीय डिक्री जारी कर दी एवं दिनांक 07.04.2021 को संशोधित डिक्री जारी कर दी, जबकि संशोधित डिक्री जारी करने से पूर्व कोई सूचना अपीलान्ट/प्रतिवादी को दिये जाने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है एवं न ही उक्त संशोधित डिक्री का अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में कहीं अंकन है, न ही संशोधन बाबत् कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का आदेशिका में कोई अंकन है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री एवं संशोधित प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 71/2004 निर्णय व डिक्री दिनांक 13.11.2017 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 07.04.2021 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रषित की जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादी/अपीलान्ट को विधिवत सूचना देकर एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर विधि के आलोक में पुनः नये सिरे से निर्धय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 03.02.2025 को उपस्थित रहे। निर्णय आज दिनांक 05.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:56:12 IST
Reason: SelfAttested